

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1832

09 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमृत 2.0 के अंतर्गत जल उपचार संयंत्र

1832 सुश्री दोला सेन:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृत 2.0 के अंतर्गत संस्वीकृत और पूर्ण किए गए जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) की संख्या कितनी है और इनकी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि 133 डब्ल्यूटीपी संस्वीकृत किए गए थे लेकिन केवल 2 ही पूर्ण किए गए और यदि हां, तो इतने कम डब्ल्यूटीपी पूर्ण होने के क्या कारण हैं;

(ग) कार्य के चरण, लागत और संशोधित समय-सीमा सहित लंबित डब्ल्यूटीपी का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) विलंब या लागत वृद्धि, यदि कोई हुई है तो, के लिए क्या जवाबदेही निर्धारित की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): जल राज्य का विषय है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार राज्यों को विभिन्न मिशनों/योजनाओं जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक ढांचे के अनुसार परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता-निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार है। अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई अद्यतन जानकारी के अनुसार, अमृत

2.0 के तहत 11,395.20 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की कुल क्षमता वाले जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) के साथ 56,727.68 करोड़ रुपये (संचालन और रखरखाव लागत के साथ) की कुल 910 जल आपूर्ति परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं। अब तक, 38,750.83 करोड़ रुपये की लागत (कैपेक्स) वाली 729 परियोजनाओं के ठेके दिए गए हैं और 15,985.35 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं। डब्ल्यूटीपी के साथ परियोजनाओं की स्थिति, लागत और जल आपूर्ति परियोजनाओं की संशोधित समय-सीमा वेबसाइट <https://amrut.mohua.gov.in/> पर उपलब्ध है ।

अमृत और अमृत 2.0 के तहत शुरू की गई परियोजनाएं लंबी निर्माण अवधि वाली बड़ी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं। राज्यों द्वारा समय-समय पर दी गई जानकारी के अनुसार, कुछ परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और अनुमोदन करने, सांविधिक स्वीकृतियों, भूमि संबंधी मुद्दों आदि में देरी के कारण विलंब होता है। मिशन के दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के अंतर्गत किए गए कार्यों का मूल्यांकन और निगरानी करने के लिए स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। साथ ही, अमृत के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और उनके शहरी स्थानीय निकायों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से समय-समय पर प्रगति की समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली परियोजनाओं की प्रगति और निगरानी पर नज़र रखने के लिए एक समर्पित अमृत 2.0 ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है।
